न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-65/2016

1- मूलाराम
2- गिरधारीलाल
3- फूलचन्द
4- बीरबल

पुत्रगण बेगाराम जाति माली निवासी झीराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- गोपाल
2- भगवाना
3- ज्ञानचन्द
4- रामनिवास
5- बाबूलाल

पुत्रगण स्व0 हेमाराम जाति माली निवासी झीराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

6- भूमिधारी जरिये तहसीलदार0 नीमकाथाना जिला सीकर ।
7- उपं पंजीयक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ।
8- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर ।

---रेस्पोन्डेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-5-2016 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री ईस्लामुदीन गोरी एडवोकेट- रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय दिनांक- 5.3.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस् ने दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 229 रकबा 0.33 हैक्टर वाके ग्राम गणेश्वर पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे है तथा पहले यह आराजी सिवायचक थी जिसकी 1/2 हिस्से की वादी के पिता बेगाराम ने पैनल्टि की राशी जमा करवाई है । इस आराजी की खसरा गिरदावरी सं0-2009 वादी के पिता बेगाराम के 1/2 व हेमा के नाम 1/2 दर्ज चली आ रही है । किन्तु प्रतिवादीगण का पिता परिवार का कर्त्ता खानदान था वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता हेमा उक्त आराजी को 1/2, 1/2 हिस्से को काश्त करते आये हैं मौके पर भी आधा आधा हिस्सा है। किन्तु प्रतिवादीगण ने धमकी दी की यह समस्त आराजी हमारी है आपको यह आराजी छोडनी पडैगी । जिस पर राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त कर यह दावा किया जिसे अदालत मातहत ने वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत जबाब दावा आने के बाद अदालत मातहत ने आदेश-14 की पालना ने कर तनकीयात कायम किये बिना आदेश पारित किया है तथा ना ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर दिया । अदालत मातहत ने अपना निर्णय रेकार्ड के विपरित केवल कल्पनाओं के आधार पर पारित किया है । विवादित भूमि की काश्त अपीलान्ट के पिता के नाम सम्वत 2009 में 1/2 हिस्से पर दर्ज है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने खसरा गिरदावरी जो रेकार्ड से कब्जा साबित है उस पर बिना गोर किये आदेश पारित किया है जो कानून के विपरित है । अत: अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट के पिता का सम्वत 2009 से लगातार कब्जा काश्त रहा है । अपीलान्ट भी अपने पिता के साथ विवादित आराजी पर काबिज रहे हैं । अपीलान्ट के पिता ने इस आराजी के लिये पैनल्टी जमा करवाई है क्योंकि यह आराजी पहले सिवायचक थी इस प्रकार अपीलान्ट के पिता का इस आराजी पर लगातार कब्जा रहने के बाद भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय रेकार्ड के विपरित केवल कल्पनाओं पर पारित किया है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सिवायक भूमि थी जिसको आंवटन सलाहकार समिति ने अपीलान्ट के पिता हेमा पुत्र गोमा को आंवटन की, आंवटन के बाद इस आराजी का नामान्तरकरण सं0 544 हेमा पुत्र गोमा के नाम स्वीकार किया गया है। इस आराजी से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय सही है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल नामान्तरकरण सं0-2 का नोट जमाबन्दी सं0 2056 से 2059 में दर्ज है जिसमें हेमा पुत्र खम्मा धानका के स्थान पर हेमा पुत्र गोमा माली का नाम दुरूस्त किया गया है । नामा0सं0-544 में आंवटन आदेश से ख0नं0 229 रकबा । बीघा ।। बिस्वा हेमा पुत्र गोमा माली के नाम स्वीकार किया गया है । इस नामान्तरकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजकीय सिवायचक है जो अलाटमेन्ट कमेटी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

द्वारा रेस्पोडेन्टस् के पिता हेमा पुत्र गोमा माली के नाम आंवटन किये जाने पर आंवटन आदेश से यह नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2072, एवं 2071 से 2074 में विवादित आराजी की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 5 के नाम दर्ज है ।मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 12-6-2016 में ख0नं0 229 हाल ख0नं0 423 रकबा 0.33 हैक्टर पर प्रार्थी गिरधारी पुत्र बेगा राम सैनी एवं खातेदार 1/2, 1/2 की काश्त करते आ रहे हैं। रिपोर्ट उपस्थित व्यक्तियों के बताये अनुसार रिपोर्ट की है ।प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण सं0-544 नियमन आदेश के बाद रेस्पोडेन्टस् के पिता के नाम तस्दीक किया गया है ।अब अपीलान्ट/वादीगण ने दावे के मार्फत उक्त आराजी की खातेदारी की घोषणा चाही है जो उचित नहीं है । क्योंकि रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी की खातेदारी नियमन किये जाने पर प्राप्त हुई है जिसको प्रस्तुत दावे से खारिज कर अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-5-2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर